परिपत्र सं०02/2017-सीमाशुल्क

फा०सं० 609/107/2017-डीबीके
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग
केंद्रीय सीमाशुल्क एवं उत्पादशुल्क बोर्ड

नई दिल्ली,दिनांक 13.01.2017

सेवा में,

सीबीईसी के अंतर्गत आने वाले सभी
प्रधान मुख्य आयुक्त/प्रधान महानिदेशक
मुख्य आयुक्त/महानिदेशक
प्रधान आयुक्त और आयुक्त।

महोदय/महोदया,

विषय: डयूटी प्रति अदायगी की अखिल औद्योगिक दरों पर 15.01.2017 से प्रभावी संशोधन।

सरकार ने 15.11.2016 से प्रभावी डयूटी प्रतिअदायगी की अखिल औद्योगिक दरों के संबंध में प्रत्यावेदनों, फीडबैक और आंकड़ों पर विचार किया तथा दिनांक 12.01.2017 की अधिसूचना सं०03/2017-सीमाशुल्क(गैटे) के अंतर्गत कतिपय परिवर्तन अधिसूचित किए हैं। ये परिवर्तन दिनांक 15.01.2017 से लागू हो गए हैं। यह अधिसूचना www.cbec.gov.in से डाउनलोड करके देखी जा सकती है। किए गए परिवर्तनों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल है-

(क) 'सुरिमि मछलीपेस्ट' के लिए टैरिफ मद को 160401 से 030402 में अंतरित कर दिया गया है तथा वर्गीकरण के मुद्दे का निवारण करने के लिए टैरिफ मद 160401 के विवरण में संशोधन किया गया है ताकि इसे 'सुरिमि सदृश्य प्रोडक्ट' के रूप में पढ़ा जा सके;
(ख) टैरिफ मद 500799 (अन्य सिल्क फैब्रिक) के लिए प्रतिअदायगी की सीमा को बढ़ाया जा रहा है;
(ग) टैरिफ मद 570104,570203, 570303, 570402 और 570503 के अंतर्गत आने वाले मानव निर्मित रेशों की फ्लोर कवरिंग और टैरिफ मद 611101 और 620901 के अंतर्गत आने वाले बच्चों के कपड़ों के संबंध में प्रतिअदायगी दर/सीमा को बढ़ाया जा रहा है;
(घ) टैरिफ मद 711301, 711302 और 711401 के अंतर्गत आने वाले सोने के आभूषणों, चाँदी के आभूषणों और चाँदी की मदों के संबंध में प्रतिअदायगी दर को घटाया जा रहा है।

2. डब्ल्यूसीओ हार्मोनाइज सिस्टम नोमेनक्लेचर 2012 एडीशन से 2017 एडीशन में परिवर्तनों के संबंध में, वित्त अधिनियम 2016 की धारा 141 में अधिसूचित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची में किए गए संशोधनों को 1.1.2017 से लागू किया गयाहै। जैसे कि अखिल औद्योगिक दर प्रतिअदायगी अनुसूची में दी गयी टैरिफ मदों और वस्तुओं के विवरण को चार अंकीय स्तर पर सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची में दी गई टैरिफ मदों और वस्तुओं के विवरण के अनुरूप बनाया जाता है, तदनुसार अखिल औद्योगिक दर प्रतिअदायगी अनुसूची की टैरिफ मदों और वस्तुओं के विवरण को संशोधित कर दिया गया है। इन परिवर्तनों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल है-

(क) टैरिफ मद 1211, 2206, 2853,2939, 6907, 8205, 8308, 8442, 8466, 8473, 8439 और 8451 के विवरण को संशोधित किया गया है;

(ख) टैरिफ मदें 690701,690702, 690703 और 690799 सृजित की गयी हैं ताकि इसमें ग्लेज्ड और अनग्लेज्ड दोनों प्रकार की टाइलों को शामिल किया जा सके। ग्लेज्ड टाइलों संबंधी टैरिफ मद 6908, 690801, 690802 और 690899 को विलोपित कर दिया गया है।

(ग) टैरिफ मद 2848 और 8469 को विलोपित कर दिया गया है;

(घ) टैरिफ मद 9620 के अंतर्गत 'मोनो पॉड, बाई पॉड, ट्राई पॉड और इसी प्रकार की मदों' के लिए अखिल औद्योगिक दर के साथ अलग से एक प्रवृष्टि सृजित की जा रही है।

3. अखिल औद्योगिक दर की अधिसूचना संख्या 131/2016-सीमाशुल्क (गैटे) की टिप्पणियों और शर्त सख्यां 3(ii) में संशोधन कर दिया गया है ताकि कृषि उपस्कर (टैरिफ मद 8432,8433, 8436 वाले) के पुर्जे अथवा घटक क्रमश: टैरिफ मद के अंतर्गत ही वर्गीकृत रहें।

4. व्यापार जगत/फील्ड कार्यालयों के मार्गदर्शन के लिए उपयुक्त सार्वजनिक नोटिस/स्थायी आदेश जारी किए जाएं। इन परिवर्तनों के कार्यावयन में यदि कोई कठिनाई आए तो इसे बोर्ड के ध्यान में लाया जाए।

भवदीय

(दिपिन सिंग्ला)
वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी (प्रतिअदायगी)